**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1513**

**सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)**

## युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर

**1513. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आकांक्षी और पिछडे जिलों विशेषकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर में युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और श्रम संहिताओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और वन सीमा क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्थानीय रोजगार, स्थायी कार्य और आजीविका सहायता के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के आकांक्षी जिलों में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विशेष श्रम और रोजगार पैकेज लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) देश में वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है और इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 41.8% से बढ़कर 55.1% हो गया है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संस्थाओं के सहयोग से आदर्श करियर केन्द्रों (एमसीसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। ये केंद्र स्थानीय युवाओं और अन्य रोजगार चाहने वालों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से सभी संभव रोजगार के अवसरों से जोड़ते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका सहयोग करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी लॉन्च किया है, जिसमें एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम के माध्यम से ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच और उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों को देखने के लिए की गई है।

केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को मिलाने, सरलीकृत करने और युक्तिसंगत बनाने के बाद चार श्रम संहिताएं, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 तैयार की है। ये चारों श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं।

ये चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, ये असंगठित श्रमिकों सहित कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यावित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****